01 मथरी देवी पत्नि मांगू जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02 रमेशचन्द्र पिता दुर्गालाल जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03 बच्ची देवी पत्नि बहादुर जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04 भूरी देवी पत्नि भंवरलाल जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
05 जयसिंह पिता मांगू जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
06 राधा देवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
07 स्वरुपी देवी पत्नि रोडू जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
08 लीला देवी पत्नि भारमल जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
09 सीता देवी पत्नि दुर्गालाल जाति बंजारा निवासी चम्पापुर (आंटी) पोस्ट गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाडा
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ) विभाग माण्डलगढ
3. अधिक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ) विभाग भीलवाडा
4. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ) विभाग बिजौलियां
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिजौलियां

.....विपक्षीगण

उपस्थितः–गिरधारीलाल आचार्य अधिवकता वादी
पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

दिनांक 01.06.2018

:–आदेशः–

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है साथ ही प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंटी प0ह0 गुढा तह0 बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 133 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के अभिलिखित व कब्जेधारी खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि सभी वादीगण खातेदारो की अविभाज्य एंव सयुक्त खाते की भूमि होकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह काश्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि को प्रार्थीगण ने न तो किसी को अन्तरित किया है न किसी अनुबन्ध के तहत कब्जा दिया है न ही विपक्षीगण क्रमांक 1 से 4 तक द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को अन्यथा उपयोग के लिये मुआवजा दिया जाकर अवाप्त किया गया है। विपक्षीगण क्रमांक 1 से 5 तक को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में न तो प्रवेश करने का अधिकार है न भूमि का कृषि स्वरुप बिगाडा उस पर सडक निर्माण का कार्य चलाने का अधिकार है न की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी बाबत हेरफेर करने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सडक निर्माण हेतु [illegible] के माध्यम से सडक [illegible] सडक निर्माण हेतु [illegible] अतिचार कर अपने ठेकेदार के माध्यम से सडक निर्माण हेतु यह आपत्ति करते हुये सडक निर्माण से रोका। जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने यह आपत्ति करते हुये सडक निर्माण से रोका। खातेदारी भूमि के उपयोग मे लेने कृषि स्वरुप को स्थाई रुप से बिगाडने से रोका। जिस पर विपक्षी कमांक 2 व 4 ने जानकारी दी कि राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित निर्माण हेतु भूमि दर्शायी हुयी है इसलिये वे अपनी निगरानी में राजस्व नक्शे में दिये गये अलाईण्ट मेण्ट अनुसार कृषि भूमि का उपयोग करेगे। यदि सडक निर्माण रोकने का किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त होगा तभी वे निर्माण कार्य रोकेंगे। प्रार्थीगण ने संबंधित प0ह0 से अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 133 के संबंध में जानकारी ली तो जमाबंदी में वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज अभिलिखित हो सार्वजनिक निर्माण विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का कोई अंकन नही हो केवल राजस्व नक्शा ट्रेस में दो समानान्तर लाल लाईन से प्रस्तावित सडक को दर्शाया हुआ है। पटवारी हल्का से जानकारी लेने पर यह जानकारी दी गई कि उसके कार्यकाल से पहले का नक्शा ट्रेस में यह अंकन हो रखा है इसके अलावा उसके पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। विपक्षी सं0 5 के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का से राजस्व नक्शा ट्रेस में सडक निर्माण के लिये लाल रेखाओ का अंकन करवाया गया है जो बिना किसी वैध आदेश व अधिकार के हो प्रार्थीगण के सम्पति संबंधी अधिकारो का हनन है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को विपक्षीगण द्वारा उपयोग मे लेने अथवा उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह उसका काश्त उपयोग करने का अधिकार है। विपक्षीगण प्रशासनिक बल का उपयोग कर जोर जबरदस्ती से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर सडक निर्माण करवाने पर आमादा हो करीब 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी अधिकार व कब्जे से वंचित कर देने पर आमादा हैं। जिसको रुकवाने व खातेदारी भूमि का कृषि स्वरुप बनाये रखने के लिये विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। इसके अभाव में विपक्षीगण प्रशासनिक बल उपयोग कर सडक निर्माण कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित हानी उठानी पडेगी। ख0नं0 133 के उत्तरी हिस्से का करीब 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आकार व स्वरुप ही बिगड जायेगा। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को राजस्व जमाबंदी की स्थिती व प्रार्थीगण के कब्जे की जानकारी देते हुये धारा 80 दि0प्र0स0 का नोटिस भिजवा दिया है किन्तु प्रतिवादीगण शीघ्र सडक निर्माण हेतु भूमि मे जबरन प्रवेश करने की तैयारी में मशिनरी व मजदुरो की व्यवस्था कर ली है कभी भी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की कृषि उपयोग की सतही मिट्टी को हटा गिट्टी डाल डामरी करण कर सकते है इसलिये धारा 80 दि0प्र0स0 के नोटिस अवधि से पूर्व धारा 80(2) दि0प्र0स0 के आवेदन के साथ वाद प्रस्तुत है। दिनांक 21.01.2018 जब विपक्षीगण के प्रार्थीगण की खोतदारी भूमि सडक निर्माण हेतु चिन्हित करने के लिये निशानात लगाये तभी से बिनायदावा उत्पन्न हो जारी है। विपक्षीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि ख0नं0 133 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के किसी हिस्से में अवैध अतिचार नही करें, सडक निर्माण नही करावे। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को नष्ट प्रायः नही करे व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे। प्रार्थीगण सह व्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगणों की तलवी करवाई गई।

विपक्षीगण संख्या ,2,3,4, की और से सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग माण्डलगढ उपस्थित व विपक्षी कमांक 1 व 5 की और से नायब तहसीलदार बिजौलियां उपस्थित हुये।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा आंटी जमाबंदी सम्वत् 2050 से 53, जमाबंदी संवत् 2046–49, पोस्टल रसीद की 5 कापी, पंजीकृत सूचना पत्र की प्रतिलिपि, नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षीगणो को दिनांक 25.05.2018 को सूना गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि ग्राम आंटी की आ0नं0 133 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थीगणों को बिना मुआवजा दिये सडक बनाने पर उतारु है। सडक बनाने बाबत प्रार्थीगणों को नोटिस वगैरह व अन्य कोई जानकारी भी उपलब्ध नही कराई गई। भूमि में सडक बना दी गई तो प्रार्थीगणो को अपरिमित हानी होगी। अतः विपक्षीगणों को पाबन्द कराया जावे कि प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे व सडक निर्माण नही करे। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षीगणों ने मौखिक प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में बताया कि सडक निर्माण सार्वजनिक पर्योजन/जनहित प्रयोजनार्थ निर्माण कराया जा रहा है। वर्षो पूर्व से ही मौके पर सडक निकल रही है। सार्वजनिक हित के कार्य में विपक्षीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कराया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर शिविर में निस्तारण हेतु प्रकरण रखा गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी ग्राम आंटी सम्वत् 2070 से 73 में प्रार्थीगण आ0नं0 133 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड में खातेदार है। विपक्षीगणों ने बहस के दौरान बताया कि जहॉ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण का कार्य कराया जावेगा उस स्थान पर पहले से ही सडक निकली हुई है, रास्ता है। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगणों का कब्जा अनाधिकृत भूमि पर भी हो सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनहित में नई सडक का निर्माण किया जा रहा है। यदि कार्य को रोक दिया गया तो जनहित का कार्य प्रभावित होगा व सडक निर्माण नही हो सकेगी। अतः विपक्षीगणो को पाबन्द करना हम उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को मुकाम विक्रमपुरा पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर सकम की जाकर फैसल शुमार हो।

01/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कैम्प विक्रमपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया, भीलवाड़ा